न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

,रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 06/16 तारीख रजू– 20/06/2016

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर (लैण्ड होल्डर) ———प्रार्थी

बनाम

1– बनवारी पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी सुनारी तह0 सवाई माधोपुर।
2– बाबूलाल पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी सुनारी तह0 सवाई माधोपुर। ———अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 13.7.18

प्रार्थी ने यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अर्न्तगत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सेटलमेन्ट खतौनी/जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2009 से 2023 के खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 336 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा व खं0नं0 732 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरण के खोले ही जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 207 खं0नं0 777,983 रकबा कमशः 0.09 व 0.47 का अंकन माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के बजाय जरिये विरासत फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर से जरिये विकय पत्र बाबूलाल, बनवारी जाति गुर्जर सुनारी के नाम अंकित कर दिये गये है। जो विधि विपरीत है। यह हैं कि खसरा नम्बर 336,732 का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खं0नं0 777 रकबा 0.09 व 983 रकबा 0.47 अंकित हो गये है तथा उक्त आराजी का विकय होकर नामान्तकरण संख्या 639 दिनांक 05/08/14 से विपक्षीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में अंकित हो गया है। राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या : एफ/जी/ग/स/क 168 दिनांक 12.06.1969 व 13.11.1969 तथा 14.12.1975 एवम् 8757–82 दिनांक 18.10.1979 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन मन्दिर व धार्मिक स्थानों की भूमियो को अवैध स्थानान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पूजारियों/सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया हैं तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। यह हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के खातेदारान एवम् उसके पश्चात् विरासत विकय के

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नामान्तकरण एवम् राजस्व रिकार्ड में अंकित सीमा के इन्द्राजात को निरस्त करवाकर भूमि मूर्तियों के नाम जमाबन्दी में अंकन करवाने का आदेश प्रदान करें।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन करते हुए बहस में तर्क दिया कि सेटलमेन्ट खतौनी/जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2009 से 2023 के खाता संख्या 293 खसरा नम्बर 336 रकबा 1 बीधा 17 बिस्बा व खं0नं0 732 रकबा 07 बिस्बा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीधा 04 बिस्बा माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरण के खोले ही जमाबन्दी ग्राम सुनारी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 207 खं0नं0 777,983 रकबा क्रमशः 0.09 व 0.47 का अंकन माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के बजाय जरिये विरासत फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर से जरिये विक्रय पत्र बाबूलाल, बनवारी जाति गुर्जर सुनारी के नाम अंकित कर दिये गये है। जो विधि विपरीत है। यह हैं कि खसरा नम्बर 336,732 का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2057 से 2077 नवीन खं0नं0 777 रकबा 0.09 व 983 रकबा 0.47 अंकित हो गये है तथा उक्त आराजी का विक्रय होकर नामान्तकरण संख्या 639 दिनांक 05/08/14 से विपक्षीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 में अंकित हो गया है। राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या : एफ/जी/ग/स/क 168 दिनांक 12.06.1969 व 13.11.1969 तथा 14.12.1975 एवम् 8757–82 दिनांक 18.10.1979 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जिन मन्दिर व धार्मिक स्थानों की भूमियो को अवैध स्थानान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पूजारियों/सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया हैं तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। यह हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में पूर्व में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी के खातेदारान एवम् उसके पश्चात् विरासत विक्रय के नामान्तकरण एवम् राजस्व रिकार्ड में अंकित सीमा को निरस्त करवाकर भूमि मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का श्रम करे।

अप्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत करते समय अथवा उसके पश्चात् प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकोर्ड संलग्न नहीं किया गया है, जिससे वास्तविक स्थिती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके , साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गई तथा प्रार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात के असल खातेदारान फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उक्त वाद आराजीयात माफी पीरजी वाके सुनारी की है या व्यक्तिगत है। उक्त विश्लेषण कर ही उक्त रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाना उचित होगा। उक्त रेफरेन्स में तहसीलदार द्वारा माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के वारिसान फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो अहम पक्षकार है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने,मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर मै निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि प्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 में उक्त वाद आरजीयात माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के बजाय जरिये विरासत फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर से जरिये विक्रय पत्र बाबूलाल, बनवारी जाति गुर्जर सुनारी के नाम अंकित होना बताया है। लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में माफी पीरजी वाके सुनारी धासीशाह वल्द खुदाबख्श कोम फकीर सा0 सुनारी के वारिसान फकरू, छीतर पि0 धासी जाति मुसलमान फकीर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो एक अहम पक्षकार है, साथ ही प्रार्थी द्वारा माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकोर्ड संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उक्त वाद आराजीयात के संबंध में वास्तविक स्थिती न्यायालय हाजा के समक्ष आ सके। ऐसी स्थिती में रेफरेन्स अपूर्ण होना प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स अपूर्ण होने के कारण पुनः लोटाया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि समस्त आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए एवं उक्त वाद आराजीयात के संबंध में माफी रिज्यूम व खतौनी बन्दोबस्त से पूर्व का रिकोर्ड एकत्रित कर सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख व दस्तावेजों के साथ पुनः नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.7.18 ——————को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर